न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/438

मुकदमा नम्बर 155/2024 दर्ज दिनांक– 09.12.2024

जानकी देवी पुत्री भुरा पत्नी श्री बजरंगलाल जाति जाट निवासी कैरू,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू हाल आबाद ई–31 इन्दिरा नगर झुझुंनू तहसील व जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री दीपेन्द्र सिह जाखड

वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 09.12.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम कैरू पटवार हल्का चेलासी में भूमि खाता सं. 243 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 110 रकबा 1.96 है0, खसरा नं. 218 रकबा 4.74 है, खसरा नं. 225 रकबा 5.33 है0, ख.नं. 227 रकबा 3.91 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 15.94 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मुली पुत्री भुरा के स्थान पर जानकी पुत्री भुरा दर्ज व दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ कि और से प्रकरण में रिपोर्ट क्रमांक/भु.अ./5699 दिनांक 09/12/2024 पेश हुई जिसके अनुसार आवेदिका का सही नाम जानकी पुत्री भुरा ही है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक का प्रा. पत्र पटवारी हल्का कि रिपोर्ट तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजों से साबित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कैरू पटवार हल्का चेलासी में भूमि खाता सं. 243 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 110 रकबा 1.96 है0, खसरा नं. 218 रकबा 4.74 है, खसरा नं. 225 रकबा 5.33 है0, ख.नं. 227 रकबा 3.91 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 15.94 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मुली पुत्री भुरा के स्थान पर जानकी पुत्री भुरा दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू